



2026:AHC: 167925

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 6786/2025

रामनरेश

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: अनुराग दुबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, राकेश कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग दुबे, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार यादव और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान अपील याचिकाकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, मैनपुरी द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 42 वर्ष 2018 (मुकदमा अपराध संख्या 243 वर्ष 2017 से संबंधित), जो थाना दन्नाहर, जिला मैनपुरी के अंतर्गत धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) से उत्पन्न हुआ है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.05.2025 को अपास्त करने के लिए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-विपक्षी संख्या 2 को धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है लेकिन परीक्षा पर रिहा कर दिया गया है और अवैध रूप से हल्की सजा दी गई है तथा उसे एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान वाद में, धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. के अपराधों के लिए धारा 155 द.प्र.सं. के अंतर्गत एक एनसीआर दर्ज की गई थी। एनसीआर में, यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों, अर्थात् मोहित, मनेश, ऋषभ और रोहित ने पीड़िता और उसके पुत्र को गंदी गालियों से अपमानित किया और उनके साथ मारपीट भी की।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय घायल गवाह पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करने में विफल रहा है, जिन्होंने लगातार कहा है कि अभियुक्तों ने न केवल घायल के साथ मारपीट की बल्कि उसके विरुद्ध जाति-आधारित गाली-गलौज की भाषा का भी उपयोग किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि एनसीआर में ही जाति-आधारित गाली का आरोप शामिल है, जिसमें सूचनादाता ने विशेष रूप से कहा है: “उसी समय उपरोक्त नामित अपने अपने हाथों में लाठी-डण्डा लेकर आये जिसमें मनेश के हाथ में तमंचा था व जातिसूचक गालियां देते हुए कहा कि साले धुविया तूने हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था।” यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तों ने धमकियां भी दीं, जैसा कि एनसीआर में कहा गया है: “जाते समय मुल्जिमान धमकी दे रहे थे कि साले धुविया थाना रिपोर्ट करने गया तो आज तो जिन्दा बच गया अब की बार साले को जान से मार देंगे।” विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय ने स्वयं अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं पाया, फिर भी एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अपराधों से अभियुक्तों को दोषमुक्त करते समय उसने उनके साक्ष्य को उचित महत्व नहीं दिया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत दोषमुक्ति और दी गई सजा की सीमा तक, आक्षेपित निर्णय विधि के अनुसार कायम रहने योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही मूल्यांकन किया है। धारा 155 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज प्रारंभिक एनसीआर में धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप शामिल थे, लेकिन किसी भी विशिष्ट या अलग जाति-आधारित अपमानजनक शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया था। गवाहों के बयानों में बाद में आने वाले शब्द “धुविया” के उपयोग के संबंध में आरोप, यह स्थापित करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्तों का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आशय पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या तिरस्कृत करने का था। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना अभियुक्तों के खेत में पीड़ित की भैंस के घुसने के विवाद से उत्पन्न हुई थी और यह नहीं दिखाया गया है कि यह पीड़ित की जाति की पहचान से प्रेरित थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 की गवाही पर विचार करने के पश्चात, उनके साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं पाया, और तदनुसार एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अंतर्गत उन्हें दोषमुक्त करते हुए अभियुक्तों को धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि दोषमुक्ति का निष्कर्ष साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने वाली कोई विकृति या अवैधता नहीं है।

6. एनसीआर में, किसी भी विशिष्ट या अलग जाति-आधारित अपमानजनक शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। तत्पश्चात, जब यह प्रकाश में आया कि सूचनादाता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, तो मामले की विवेचना की गई, और धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अंतर्गत एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। पी.डब्ल्यू.-1 राम नरेश ने कहा कि सभी अभियुक्तों ने उनके पुत्र, रोहित को चोटें पहुंचाई थीं, और जाति-आधारित गाली-गलौज यानी "धोबिया" का भी उपयोग किया था। घायल गवाह पी.डब्ल्यू.-2 रोहित ने कहा कि अभियुक्तों ने उसे चोटें पहुंचाई थीं और उसके साथ गाली-गलौज भी की थी। विवाद/घटना तब होना बताया गया है जब पीड़ित की भैंस अभियुक्तों के खेत में घुस गई थी। हालांकि, पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों में ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जो यह स्थापित कर सके कि कथित जातिवादी अपशब्द का उपयोग अभियुक्तों द्वारा इस आशय से किया गया था कि पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है, इसलिए उसे अपमानित या तिरस्कृत किया जाए। जहां तक चोटें पहुंचाने और गाली-गलौज करने के आरोपों का संबंध है, विद्वान विचारण न्यायालय ने एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अपराधों से दोषमुक्त करते हुए, अभियुक्तों को धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। चूंकि अभियुक्तों को एससी/एसटी अधिनियम के अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया था, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षा पर रिहा कर दिया। यह स्वीकार्य है कि गवाहों के बयानों में ऐसे आरोप शामिल हैं कि अभियुक्तों ने पीड़ित और उसके पुत्र के साथ गाली-गलौज की। हालांकि, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) को आकर्षित करने के लिए, यह स्थापित करना आवश्यक है कि यह कृत्य किसी व्यक्ति को इस आधार पर अपमानित या तिरस्कृत करने के आशय से किया गया था कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, कथित कृत्य के पीछे पीड़ित की जाति की पहचान प्रेरक कारक या ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए।

7. **स्वर्ण सिंह बनाम राज्य (2008) 8 एस.सी.सी. 435** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर कोई स्थान" के भावों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। यदि घटना जनता के सदस्यों को दिखाई देती है तो एक निजी स्थान भी सार्वजनिक दृष्टि के भीतर का स्थान हो सकता है। इसके विपरीत, केवल इसलिए कि कोई घटना किसी सार्वजनिक भवन में होती है, वह स्वतः ही आवश्यकता को पूरा नहीं करती यदि वह सार्वजनिक दृष्टि के भीतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "चमार" जैसे शब्द, यद्यपि मूल रूप से एक जाति को दर्शाते हैं, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जातिवादी गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे एक अपराध की कोटि में आ सकते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों को उनके लोकप्रिय और सामाजिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, न कि केवल उनके व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ में। धारा 3(1)(एक्स) (अब धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस)) को आकर्षित करने के लिए, जानबूझकर अपमान या अभिवास होना चाहिए; और पीड़ित को अपमानित करने का आशय होना चाहिए क्योंकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अधिनियम द्वारा परिकल्पित अपेक्षित आशय के बिना, केवल गाली-गलौज या झगड़ा अपर्याप्त है। न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही केवल वहीं जारी रहनी चाहिए जहां आरोप किसी विशेष अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करते हों। कार्यवाहियां वहां रद्द की जा सकती हैं जहां एफ.आई.आर. किसी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है।

8. **गोरिंगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2009 क्रि.एल.जे.350** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जब शिकायत में अपराध के मूल तत्व गायब हों, तो ऐसी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



शिकायत को जारी रहने की अनुमति देना और अपीलार्थी को आपराधिक विचारण की लंबी और जटिल प्रक्रिया का सामना करने के लिए विवश करना पूरी तरह से अनुचित होगा जिससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) 10 एस.सी.सी. 710** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों की उपस्थिति के बिना भूमि के कब्जे को लेकर परिवादी के निजी घर के अंदर उत्पन्न विवाद, धारा 3(1)(आर) की वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करता है।'

9. **शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य और एक अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2249** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हितेश वर्मा (उपरोक्त) के वादों को उद्धृत करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जानबूझकर किए गए अपमान और अभिवास के तत्व को इंगित करेगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या अभिवास अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपमान या अभिवास पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण न हो। अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के अंतर्गत अपराध तब बनेगा जब समाज के कमजोर वर्ग के किसी सदस्य को अपमान, प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर स्वामित्व का दावा न तो अपमान, प्रताड़ना और न ही उत्पीड़न के कारण है। प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठाने का अधिकार है। इसलिए, यदि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, या कि प्रत्यर्थी 2 ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, तो पक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी कार्रवाई इस कारण से नहीं है कि प्रत्यर्थी 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है।"

खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2020) 18 एस.सी.सी. 763 में:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"15. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करे। अपराध व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर किया गया होना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिद्धांत यह है कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता है कि परिवादी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि ऐसे सदस्य को इस कारण से अपमानित करने का आशय न हो कि वह ऐसे समुदाय से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, 1989 के अधिनियम का यह तात्पर्य नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जानबूझकर किया गया अपमान या अभिवास का प्रत्येक कृत्य 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) को केवल इसलिए आकर्षित करेगा क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इसके विपरीत, 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) वहां आकर्षित होती है जहां जानबूझकर किए गए अपमान या अभिवास का कारण यह है कि जिस व्यक्ति को इसका शिकार बनाया जाता है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि 1989 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य उन अपराधों की सजा के लिए कठोर प्रावधान प्रदान करना था जो एससी/एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जाति की स्थिति के कारण लक्षित किए जाते हैं।"

10. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यद्यपि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय अदालत के पास साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की पूरी शक्ति है, लेकिन हस्तक्षेप केवल तभी न्यायोचित होता है जब विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विकृत, स्पष्ट रूप से अवैध या पूरी तरह से कायम रखने योग्य न हो। यदि साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक उचित रूप से संभावित दृष्टिकोण है, तो दोषमुक्ति के आदेश को केवल इसलिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव है। उक्त सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलबार हुसैन और अन्य बनाम असम राज्य और एक अन्य, (2015) 11

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एस.सी.सी. 242 और चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एस.सी.सी. 415 में दोहराया गया है।

11. सुरेश थिप्पप्पा शेटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2023 लाइव लॉ (एस.सी.) 682 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"18.हमने इस मुख्य सिद्धांत को ध्यान में रखा है कि जीवन और स्वतंत्रता ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें हल्के में लिया जाए, और किसी संदेह के अभाव में ही दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है। अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की उपधारणा और अभियोजन पक्ष पर अपने मामले को संदेह से परे साबित करने का आग्रह कोई खाली औपचारिकताएं नहीं हैं। बल्कि, उनकी उत्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 से जुड़ी हुई है। बेशक, कुछ अपराधों के लिए, कानून अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अभियुक्त पर विपरीत दायित्व डालना चाहता है, लेकिन यह अन्य आपराधिक अपराधों के लिए निर्दोष-जब-तक-दोषी-साबित-न-हो नियम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।"

12. इस प्रकार, वाद के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 को धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. के अंतर्गत सही ढंग से दोषसिद्ध किया है और उसे परीवीक्षा पर रिहा किया है। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अंतर्गत सही ढंग से दोषमुक्त किया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 23.05.2025 किसी भी अवैधता, विकृति या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराए।

13. गुण-दोष से रहित होने के कारण, अपील तदनुसार **खारिज** की जाती है।

14. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के माध्यम से संबंधित न्यायालय को ई-मेल/फैक्स द्वारा इस आदेश की एक प्रति प्रेषित करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति संतोष राय)

11 अगस्त, 2026

अंकित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”